अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
आर्थिक एंव सांख्यिकी निदेशालय,
तिलक मार्ग,योजना भवन,जयपुर ।

क्रमॉकः— एफ 13/1/3/वीएस/डीईएस/2007/पार्ट—II/ दिनॉकः— 08·05·2012

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं
जिला कलेक्टर, समस्त।

विषयः— जन्म/मृत्यु की एक वर्ष से अधिक विलम्बित घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों के सम्बन्ध में।

संदर्भः— भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली का पत्रांक 1/20/2002—जीवनांक(सी.आर. एस.) राज. दिनॉक 5.11.2004

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रारों द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक साल से अधिक पुरानी अपंजीकृत जन्म/मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण किये जाने के लिये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1969 की धारा 13(3) एवं तत्सम्बन्धी राज्य नियम 7 के तहत जारी की जाने वाले आदेश में "बाद जॉच सही पाये जाने पर " "जॉच पश्चात्" इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर रजिस्ट्रारों को कंडीशनल आर्डर/सशर्त आदेश अथवा अनिर्णयात्मक आदेश देते है और शपथ पत्र को ही घटना की शुद्धता /सत्यता का सत्यापन मानते है, जबकि घटना की शुद्धता/सत्यता का सत्यापन किये जाने हेतु ही घटना का वर्णन कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है।

इस सम्बन्ध में भरत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र द्वारा स्पष्ट मार्ग—दर्शन दिया गया है कि **"धारा 13(3) एवं इसके तहत संबंधित राज्य नियम में प्रावधान है कि जिस जन्म/मृत्यु की घटना का एक वर्ष के भीतर पंजीकरण नहीं हुआ है ऐसी घटनाओं का पंजीकरण , घटना की सत्यता के सत्यापन करने के पश्चात् प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दिये आदेश पर निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही किया जाएगा। यद्यपि इसमें शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं बताई गई है तथापि इस संबंध में शपथ पत्र मात्र एक दस्तावेज है, जिसके माध्यम से शपथकर्ता शपथ पूर्वक कहता है कि उसके द्वारा दी गई सूचना सत्य है। शपथ पत्र संबधित सूचना की शुद्धता/सत्यता का सत्यापन नहीं है। ऐसे जन्म/मृत्यु की घटना को पंजीकृत किए जाने का आदेश दिए जाने से पूर्व इससे संबंधित सूचनाओं की शुद्धता /सत्यता के सत्यापन हेतु मजिस्ट्रेट किसी भी दस्तावेज की मांग कर सकते हैं या उसकी जॉच कर/करवा सकते हैं। यह उनके अधिकार क्षेत्र में है। इसके लिए क्या दस्तावेज चाहिए या जॉच का क्या तरीका अपनाया जाए यह सब संबंधित मजिस्ट्रेट पर निर्भर करेगा।"**

05.503)

अतः कृपया आपके जिले के समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपरोक्तानुसार निर्दिष्ठ कर पाबन्द करावें कि एक साल से अधिक पुरानी जन्म/मृत्यु की घटना की शुद्धता/सत्यता का सत्यापन करने के पश्चात् ही संबंधित रजिस्ट्रार को घटना का रजिस्ट्रेशन कर लेने के लिये निर्णायक एवं स्पष्ट आदेश देवें न कि कंडीशनल/सशर्त आदेश।

भवदीय

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)एवं निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,जयपुर।

क्रमॉकः– एफ 13/1/3/वीएस/डीईएस/2007/पार्ट–II/ 11526-568 दिनॉकः– 08-05-2012

प्रतिलिपिः– जिला सांख्यिकी अधिकारी, समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि सभी संबंधित को प्रति उपलब्ध करावें

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)एवं निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,जयपुर।